



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

भारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

पंक्ति 77

रांची, सोमवार 30 प्रभ्रीक, 2001

विष्णु (विष्णु) विजय

प्राचीन राज्यों की जाति-जनता विषयी विवरण (III)

Digitized by srujanika@gmail.com 28 अक्टूबर, 2001

संख्या-एस० जी०-०६/२००१-ले ज ०७—भारतीय विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम/प्रधानदेश, जिस पर राज्यपाल २० अप्रैल, २००१ को अनुमति दे चुके हैं; इसके द्वारा सर्वेंसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

भारत राज्यपाल के शादेश से,

रामायण पाठ्य-

सचिव,

विष्णु (विष्णन) विभाग, भारतपृष्ठ.

۷۰

「कारखाने प्रवित्रियम् ०४: ३०१」

भारतवर्ष के मात्रियों का वेतन भीर भत्ता

प्रधिनियम, 2001

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में भारत्संघ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह प्रधिनिमित हो :

- ## 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—

(I) यह अधिनियम भारतीय के मंत्रियों का वेतन प्रौर भर्ता अधिनियम, 2001 कहा जा सके।

(II) इसका विस्तार सम्पर्क भारतीय राज्य में होता।

(III) यह ताजत प्रवर्त होगा।

- (I) इस अधिनियम में मंत्री से अभिप्रेत है भारतगण मंत्रिमंडल का सदस्य, जो हे जिस नाम से जाना जाता हो और इसमें राज्य मंत्री शामिल होने।

3. मंत्रियों का वेतन—

प्रत्येक मंत्री को प्रतिमाह 3000/- (तीन हजार) रुपए की दर से वेतन दिया जायेगा। इसके बहार और भत्ते पर देय आयकर का मुश्यतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

4. मंत्रियों का आवास—

(I) प्रत्येक मंत्री, शौची में अपनी पदावधि तक और उसके बाद ठीक एक माह की कालावधि तक बैठवा एसे अन्य स्थान पर, जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनावृत्ति, उस कालावधि के लिए, सरकार का मुश्यालय घोषित करें, जिसे उस घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाय, बिना किंगडे के सुसज्जित आवास का उपयोग करने का इकदार होगा।

(II) ऐसे आवास के अनुरक्षण के सम्बन्ध में कोई प्रभार अविवित रूप से मंत्री पर नहीं पड़ेगा, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

स्पष्टीकरण : इस घारा के प्रयोजनावृत्ति “आवास” के अन्तर्गत स्टॉफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी और आवास से सबन्धित अनुरक्षण के अन्तर्गत स्थानों करों एवं अन्य करों के मुश्यतान तथा विविध घोषित और जल की अपूर्ति भी अनिवार्य है।

5. मंत्रियों को मोटरगाड़ी खरीदने हेतु अग्रिम एवं सबारी भत्ता का दिया जाना—

(I) राज्य सरकार समय-समय पर मंत्रियों के उपयोग के लिए मोटरगाड़ी खरीद सकेगा और ऐसी शतांशों पर उपबंध करेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे, परंतु यदि कोई मंत्री राज्य सरकार द्वारा खरीदी गयी मोटरगाड़ी नहीं रखे तो उसे उसके बदले सबारी भत्ते की ऐसी रकम और मोटरगाड़ी की खरीद के लिए ब्रानिंदेय अग्रिम के तौर पर ऐसी धनराशि उन निवंधनों पर दो जायेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे, ताकि वह अपने पद के कर्तव्यों का सुविधा और दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सके।

(II) कोई भी मंत्री ऐसी रियायती दर पर और ऐसी शतांशों पर, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर, नियमों द्वारा अवधारित करे, प्रभार करे, प्रभार के भुगतान पर स्टॉफ कार के उपयोग करने का हकदार हो।

स्पष्टीकरण : इस उपघारा के प्रयोजनावृत्ति “स्टॉफ-कार” से अनिवार्य है कार्यालय के प्रयोजनावृत्ति राज्य सरकार द्वारा खरीदा गया और अनुरक्षित कोई मोटर बाहर होना।

6. मंत्रियों का दैनिक भत्ता—

कोई भी मंत्री, जब वह, लोक कारवार हेतु यात्रा पर हो तो राज्य के अंदर दैनिक भत्ता 350/- (तीन सौ पचास) रुपये एवं राज्य के बाहर 500/- (पाँच सौ) रुपया अनुमान्य होगा।

7. क्षेत्रीय भत्ता—

कोई भी मंत्री क्षेत्रीय भत्ता प्रतिमाह 4000/- (चार हजार) रुपये पाने का हकदार होगा।

8. सरकार भत्ता—

कोई भी मंत्री निम्न प्रकार अतिथि भत्ता पाने का हकदार होगा।

(I) मुख्यमंत्री 1500/- (एक हजार पाँच सौ) रुपये प्रतिमाह, मंत्री 1000/- (एक हजार) रुपये प्रतिमाह, राज्य मंत्री 500/- (पाँच सौ) रुपये प्रतिमाह एवं उप-मंत्री 300/- (तीन सौ) रुपया प्रतिमाह।

9. चिकित्सीय उपचार—

कोई भी मंत्री और उसके परिवार के सदस्य ऐसी सुविधा एवं और मुफ्त चिकित्सा परिचयों और दवा की अपूर्ति तथा अस्पतालों में बास-सुविधा के संबंध में रियायतों का हकदार होगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

10. नियम बनाने की शक्ति—

- (I) राज्य सरकार, राजपत्र में घोषित होना द्वारा उक्त प्रतिनियम में प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ नियम बना सकती :
- (II) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव ढाले विना, राज्य सरकार निम्नलिखित को अवधारित करने हेतु नियम बना सकती :
- (क) मंत्रियों को सोटरगाड़ी खरीदने और यात्रा भत्ता देने के लिए अग्रिम ।
 - (ख) मंत्रियों का यात्रा एवं दैनिक भत्ता ।
 - (ग) क्षेत्रीय भत्ता ।
 - (घ) सत्कार भत्ता ।
 - (ङ) धन्य भत्ता ।
- (III) इस घारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र, विधान-सभा के समक्ष रखा जायेगा तब वह 14 दिनों की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र या क्रमवर्ती दो सत्रों को मिलाहर हो, और उस सत्र अध्यवा उसके ठीक बाद होने वाले सत्र की, जिसमें वह रखा गया हो, की समाप्ति के पूर्व यदि विधान-सभा, नियम में कोई उपांतरण करने हेतु सहमत हो अथवा सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह नियम, जिसके बाद यथास्थिति उस उपांतरित प्रारूप में प्रभावी होगा । अथवा कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई भी उपांतरण या वातिलीकरण उस नियम के अधीन किये गये पूर्ववर्ती कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव ढाले विना होगा ।

भारतीय राज्यपाल के आदेश से,
रामायण पाण्डेय,
सरकार के सचिव ।



गौरि नहीं तब खिलौंगे के छण्डगान - ज्ञानीय का 1002-60 ज्ञानीयक छण्डगान
ज्ञानीयकीर छलीछलीनी भ्रम भ्रम के ८-ज्ञानीय का १०-ज्ञानीयक छण्डगान) 1002-ज्ञानीयक भ्रम
- ग्रन्थालय ज्ञानीय

विशेषण ४ विं लाइन बिंदु में यह कि खिलौंगे (यह गान्धी गान्धी) - 1002 ज्ञानीय कि खिलौंगे
यह यह गान्धी गान्धी गान्धी । ग्रन्थालय ज्ञानीयक भ्रम कि (खिलौंगे गान्धी) - 1002 कि खिलौंगे

झारखण्ड गजट

गौरि नहीं के खिलौंगे के छण्डगान - असाधारण अंक
ज्ञानीयकीर छलीछलीनी भ्रम भ्रम के ८-ज्ञानीय का १०-ज्ञानीयक छण्डगान) 1002-ज्ञानीयक भ्रम
- ग्रन्थालय ज्ञानीय

संख्या 284

25 भाद्र 1924 शकाब्द

राँची, सोमवार 16 सितम्बर, 2002

विधि (विधान) विभाग

गौरि नहीं तब खिलौंगे के छण्डगान - ज्ञानीय का 1002-60 ज्ञानीयक छण्डगान
ज्ञानीयकीर छलीछलीनी भ्रम भ्रम के ८-ज्ञानीय का १०-ज्ञानीयक छण्डगान) 1002-ज्ञानीयक भ्रम
16 सितम्बर, 2002

संख्या-एल०जी०--०६/२००१-७०--लेज--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर
राज्यपाल 13 सितम्बर, 2002 को अनुमति दे चुके हैं ; इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित
किया जाता है ।

प्रशान्त कुमार,

सचिव,

विधि (विधान) विभाग,

झारखण्ड, राँची ।

ज्ञानीय (ज्ञानीय) यह ज्ञानीय कि यह ज्ञानीय (ज्ञानीय गान्धी) - 1002 कि खिलौंगे

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता

(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

[झारखण्ड अधिनियम, 13, 2002]

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-04, 2001) का
संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरपनवें (53वें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - (i) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता
अधिनियम, 2002 कहा जा सकेगा ।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
(iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-3 का प्रतिस्थापन :- झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-04, 2001) की धारा-3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"मुख्यमंत्री को प्रतिमाह 5500/- (पाँच हजार पाँच सौ)रुपये की दर से एवं प्रत्येक मंत्री / राज्यमंत्री/उपमंत्री को 5000/- (पाँच हजार रुपये) की दर से वेतन दिया जायेगा । इनके वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा" ।

3. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-6 का प्रतिस्थापन :- झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-04, 2001) की धारा-6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित समझा जायेगा -

"कोई भी मंत्री लोक कारोबार हेतु दैनिक भत्ता के रूप में 500/- रुपये (पाँच सौ रुपये) प्रतिदिन की दर से पाने के हकदार होंगे ।"

4. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-8 का प्रतिस्थापन :- झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-04, 2001) की धारा-8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

सत्कार भत्ता (i)	मुख्यमंत्री	8,000/- (आठ हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से
	(ii) मंत्री/राज्य मंत्री/उपमंत्री	5,000/- (पाँच हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से सत्कार भत्ता पाने के हकदार होंगे ।

5. झारखण्ड अधिनियम-04, 2001 की धारा-9 में संशोधन :- उक्त अधिनियम की धारा-9 में शब्द "अवधारित करें" के पश्चात् निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

"कोई भी मंत्री 2,000/- (दो हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता (आउटडोर) पाने का हकदार होगा ।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशान्त कुमार,

सचिव,

विधि (विधान) विभाग,

झारखण्ड, रौची ।

सचिव जौही नियम के लिये के लालनाथ मुद्रणालय के

सचिव जौही नियम

प्राप्ति के लिये लालनाथ मुद्रणालय के

सचिव जौही नियम

प्राप्ति के लिये लालनाथ मुद्रणालय के

सचिव जौही नियम

प्राप्ति के लिये लालनाथ मुद्रणालय के

सचिव जौही नियम

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, रौची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

झारखण्ड गजट (असाधारण) 284--300+400--शनि मुण्डा ।

(100)

(6)



राष्ट्रपति वर्तमान

"भारत सरकार" भारत गवर्नर इन कानूनों की अधिकारी द्वारा दिए गए 2006-10 वर्षों के लिए भारत के लिए यह वर्ष के लिए विशेष विधान का एक विशेष विधान है।

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 102

8 फाल्गुन 1927 शकाब्द
राँची, सोमवार 27 फरवरी, 2006

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

27 फरवरी, 2006

संख्या-एल०जी०-०६/२००१-३३/लेच०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2006 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:--

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005

[झारखण्ड अधिनियम ०८, २००६]

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें (५६वें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और चारम्ब-(1) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
(3) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-6 के द्वितीय पंक्ति में अंकित शब्द समूह "हकदार होगा" के पश्चात् निम्न शब्द समूह जोड़े जायें--

"हवाई यात्रा एवं जल पोत से यात्रा करने के समय मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/ठपमंत्री के साथ एक सहयात्री की सुविधा अनुमान्य होगी" ।

3. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-7 का संशोधन--उक्त अधिनियम की धारा-7 में शब्द द्वितीय भत्ता "प्रतिमाह" के बाद अंक "4000/-" के स्थान पर अंक "8000/-" एवं प्रकोष्ठ के अन्दर के शब्द "चार हजार" के स्थान पर शब्द "आठ हजार" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
4. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-8 का संशोधन--उक्त अधिनियम की धारा-8 के खंड (I) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा

"मुख्य मंत्री 11000/- (एयारह हजार) रुपये प्रतिमाह, मंत्री 8000/- (आठ हजार) रुपये प्रतिमाह एवं राज्य मंत्री 8000/- (आठ हजार) रुपये प्रतिमाह" ।

5. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-9 का संशोधन--उक्त अधिनियम की धारा-9 में चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह के पश्चात् अंक एवं शब्द अंकित शब्द समूह "रुपये 2000/- (दो हजार रुपये)" के स्थान पर शब्द समूह "रुपये 3000/- (तीन हजार रुपये)" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राम बिलाश गुप्ता,
सरकार के सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, रौची ।

102



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 251

13 चैत्र, 1930 शकाब्द

राँची, बुधवार 2 अप्रैल, 2008

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

1 अप्रैल, 2008

संख्या-एल०जी०-६/२००१-३७/लेज०,-,--झारखण्ड विधान-मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 31 मार्च, 2008 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन)

अधिनियम, 2008

[झारखण्ड अधिनियम 07, 2008]

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 04, 2001 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के 59वें वर्ष में झारखण्ड विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -

- (i) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 यथासंशोधित अधिनियम 13, 2002 में संशोधन-झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 की धारा-3 यथासंशोधित, 2002 में प्रयुक्त शब्द मुख्यमंत्री को प्रतिमाह अंक एवं शब्द 5500/- (पाँच हजार पाँच सौ) रुपये के स्थान पर 10,500/- (दस हजार पाँच सौ) रुपये तथा प्रत्येक मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री को अंक एवं शब्द 5000/- (पाँच हजार) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 10,000/- (दस हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 यथा संसोधित अधिनियम 13, 2002 में संशोधन-मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 की धारा-8 यथासंशोधित 2002 में निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है -

सत्कार भत्ता

- (i) मुख्यमंत्री - 8,000/- रु० के स्थान पर 15,000/-रुपये
- (ii) मंत्री/राज्यमंत्री - 5,000/- रु० के स्थान पर 12,000/- रुपये

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

[8005 ८० अन्तर्राजि. उपलब्ध]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 251--300+400--शनि मुण्डा।



ਜਾਗ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨੁੰ ਕੇ ਸਿਵੇਂ ਕੇ ਸਾਡੀਂ ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀਂ ਲਾਈ (੧)

| ग्रन्थालय देवी | श्री (प्रसिद्ध)

ਇਸ ਦੀ ਪੰਡਿਤ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

। ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (iii)

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन, 1933 शाकाब्द

संख्या 686

राँची, नंगलबार 11 अक्टूबर, 2011

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

क्र. ४००५ रा-मानविक लाइन ३० सितंबर २०११ मानविक व्यवस्था

संख्या एल०जी०-०६ / २००१-१६७ / लेज०-झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक २८ सितम्बर, २०११ को अनुमति दे द्युके हैं, इसके द्वारा सर्वस्ताधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

-\ ०००.०१ प्र नियम [झारखण्ड अधिनियम, १६, २०११] पा (ii)

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2011

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 04, 2001 का संशोधन करने के लिए अधिनियम –

भारत गणराज्य के 62वां वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :—
 - (i) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
 - (iii) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रभावी समझा जायेगा।
2. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-13, 2002 एवं अधिनियम 7, 2008 की धारा-2 में संशोधन— झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 की धारा-3 यथा संशोधित, 2002 में प्रयुक्त शब्द मुख्यमंत्री को प्रतिमाह अंक एवं शब्द 10,500/- (दस हजार पाँच सौ) रुपये के स्थान पर 40,000/- (चालीस हजार) रुपये तथा प्रत्येक मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री को अंक एवं शब्द 10,000/- (दस हजार) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 39,000/- (उनचालीस हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।
3. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-08, 2006 की धारा-3 में संशोधन — झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-08, 2006 की धारा-3 में निम्नवत् संशोधन किया जायेगा :—

क्षेत्रीय भत्ता

 - (i) मुख्यमंत्री – 8,000/-रु0 के स्थान पर 30,000/-रुपये।
 - (ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री – 8,000/-रु0 के स्थान पर 20,000/-रुपये।
4. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-13, 2002 एवं अधिनियम 7, 2008 की धारा-3 में संशोधन — मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम (झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-13, 2002, अधिनियम 7, 2008 की धारा-3 यथा संशोधित) में निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :—

सत्कार भत्ता

- (i) मुख्यमंत्री – 15,000/-रु० के स्थान पर 30,000 /-रुपये।
(ii) नंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री – 12,000/-रु० के स्थान पर 25,000/- रुपये।

5. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम 2, 2003 एवं अधिनियम 4, 2002 की धारा-2 में संशोधन— मुख्यमंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री को देय प्रभारी भत्ता में 500/-रुपया प्रतिदिन के स्थान पर यात्रा और दैनिक भत्ता –राज्य के अंदर 1,000/- तथा राज्य के बाहर 1,500/- रुपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जाता है।
6. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 की धारा-10 (II) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा :—
- (i) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली समर्त या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी;
- वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

पंकज श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव—सह—विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड।

आरबिंग नं १५४
पुस्ति
नं १५४

ज्ञारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(संसदीय कार्य)

(107)

(18)

छठक संख्या

अधिसूचना

933 19.5.2015

संख्या— मंमोस०—०५/विद्यायी का० (वेतन एवं भत्ता)०—०१/२०१५(ज्ञाया संविका) /दिनांक— १९.५.२०१५
ज्ञारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, २००१ (ज्ञारखण्ड अधिनियम— ०४, २००१) की धारा १०, ज्ञारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, २००५ (ज्ञारखण्ड अधिनियम— ०८, २००६), ज्ञारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, २००८ (ज्ञारखण्ड अधिनियम— ०७, २००८) सहपठित ज्ञारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, २०११ (ज्ञारखण्ड अधिनियम— १६, २०११) की धारा—६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज्ञारखण्ड के राज्यपाल निम्न नियमावली बनाते हैं—

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—

- यह नियमावली ज्ञारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली, २०१५ कहलायेगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण ज्ञारखण्ड राज्य में होगा।
- यह नियमावली ०१ जनवरी, २०१५ से प्रभावी समझी जायेगी।
- इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय एवं संदर्भ के विरुद्ध न हो,
 - "अधिनियम" से अभिप्रेत है ज्ञारखण्ड के मंत्रियों का (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, २००१,
 - "मंत्री" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद १६४ के अधीन राज्यपाल द्वारा उस रूप में नियुक्त व्यक्ति, इसमें राज्यमंत्री/उपमंत्री शामिल हैं,
 - "सदस्य" से अभिप्रेत है ज्ञारखण्ड विधान सभा का सदस्य,
 - "सरकार" से अभिप्रेत है ज्ञारखण्ड सरकार।

२. मंत्रियों का वेतन—

मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप—मंत्री शपथ—ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे—

- मुख्यमंत्री— रु० ६०,०००/- (साठ हजार) प्रतिमाह
- मंत्री/राज्यमंत्री/उप—मंत्री—रु० ५०,०००/- (पचास हजार) प्रतिमाह

इनके वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

३. मंत्रियों का प्रभारी भत्ता:—

मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप—मंत्री शपथ—ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित प्रभारी भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे—

- मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप—मंत्री—रु० १,५००/- (एक हजार पाँच सौ) मात्र प्रतिदिन राज्य के अन्दर एवं रु० २,०००/- (दो हजार) मात्र राज्य के बाहर प्रतिदिन।
- हवाई/ जलपोत यात्रा करने के समय मुख्यमंत्री के साथ दो सहयात्री एवं मंत्री/राज्यमंत्री/ उप—मंत्री के साथ एक सहयात्री की सुविधा अनुमान्य होगी। हवाई यात्रा/जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों का भुगतान तथा HOR मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा पूर्ववत् किया जाता रहेगा।

लिंग

4. क्षेत्रीय भत्ता—

मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप-मंत्री शपथ-ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित क्षेत्रीय भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे—

- (i) मुख्यमंत्री— रु० 40,000/- (चालीस हजार) मात्र प्रतिमाह
- (ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उप-मंत्री— रु० 30,000/- (तीस हजार) मात्र प्रतिमाह

5. सत्कार भत्ता—

मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप-मंत्री शपथ-ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित सत्कार भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे—

- (i) मुख्यमंत्री— रु० 35,000/- (पैंतीस हजार) मात्र प्रतिमाह

- (ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उप-मंत्री— रु० 30,000/- (तीस हजार) मात्र प्रतिमाह

6. चिकित्सीय भत्ता:-

मुख्यमंत्री एवं कोई मंत्री और उसके परिवार के सदस्य निम्न रूप में निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और दवाओं की आपूर्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे—

- (i) मुख्यमंत्री— रु० 5,000/- (पाँच हजार) मात्र प्रतिमाह, निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और दवाओं की आपूर्ति,
- (ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उप-मंत्री— रु० 5,000/- (पाँच हजार) मात्र प्रतिमाह, निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और दवाओं की आपूर्ति।

7. मंत्रियों का आवास—

- (i) प्रत्येक मंत्री, रांची में अपनी पदावधि तक और उसके बाद ठीक एक माह की कालावधि तक अथवा ऐसे अन्य स्थान पर, जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, उस कालावधि के लिए, सरकार का मुख्यालय घोषित करे, जिसे उस घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, बिना किराये के सुसज्जित आवास का उपयोग करने का हकदार होगा।
- (ii) ऐसे आवास के अनुरक्षण के संबंध में कोई प्रभार व्यक्तिगत रूप से मंत्री पर नहीं पड़ेगा, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

स्पष्टीकरण:- इस नियमावली के प्रयोजनार्थ “आवास” के अन्तर्गत स्टाफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी और आवास से संबंधित अनुरक्षण के अन्तर्गत स्थानीय करों एवं अन्य करों के भुगतान तथा विविध शक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलित है।

8. मंत्रियों को मोटर गाड़ी खरीदने हेतु अग्रिम एवं सवारी भत्ता का दिया जाना—

- (i) राज्य सरकार समय-समय पर मंत्रियों के उपयोग के लिए मोटरगाड़ी खरीद सकेगी और ऐसी शर्तों पर उपबंध करेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे,

परन्तु यदि कोई मंत्री राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई मोटरगाड़ी नहीं रखे तो उसके बदले सवारी भत्ते की ऐसी रकम और मोटरगाड़ी की खरीद के लिए प्रतिदेय अग्रिम के तौर पर ऐसी धनराशि उन निबंधनों पर दी जाएगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे, ताकि वह अपने पद के कर्तव्यों का सुविधा और दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सके।

लिंग

(ii) कोई भी मंत्री ऐसी रियायती दर पर और ऐसी अन्य शर्तों पर, जिसे राज्य सरकार समय—समय पर, नियमों द्वारा अवधारित करे, प्रभार करे, प्रभार के भुगतान पर स्टाफ कार के उपयोग करने का हकदार हो।

स्पष्टीकरणः— इस उप कंडिका के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति “स्टाफ कार” से अभिप्रेत है कार्यालय के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा खरीदा गया और अनुरक्षित कोई मोटर वाहन।

(iii) मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री / उप—मंत्री को ₹ 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) मात्र तक 4 (चार) प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर मोटर कार अग्रिम अनुमान्य होगा।

9. नियमों की व्याख्या एवं संशोधन की शक्ति—

(i) राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या करने तथा समय—समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।

(ii) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा तब वह 14 दिनों की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र या क्रमवर्ती दो सत्रों को मिलाकर हो, और उस सत्र अथवा उसके ठीक बाद होने वाले सत्र की, जिसमें वह रखा गया हो, की समाप्ति के पूर्व यदि विधान सभा, नियम में कोई उपांतरण करने हेतु सहमत हो अथवा सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह नियम, जिसके बाद यथास्थिति उस उपांतरित प्रारूप में प्रभावी होगा अथवा

कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई भी उपांतरण या वातिलीकरण उस नियम के अधीन किए गए पूर्ववर्ती कुछ भी की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

लिं 18 | ८ | १५
(एस० के० शतपथी)

झापांक— म०म०स०—०५ / विधायी का० (वेतन एवं भत्ता)–०१ / २०१५(छाया संचिका) १३३ सरकार के प्रधान सचिव

प्रतिलिपि:— राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव कार्यालय

के उप सचिव/ विकास आयुक्त के सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान सचिव/प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/सरकार के सभी सचिव/सभी माननीय मंत्रीगण के आप सचिव/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लिं ११ | ११ | १५
(एस० के० शतपथी)

झापांक— म०म०स०—०५ / विधायी का० (वेतन एवं भत्ता)–०१ / २०१५(छाया संचिका) १३३ सरकार के प्रधान सचिव।

प्रतिलिपि: महालेखाकार, झारखण्ड, रांची / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, एच.

ई.सी. प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा / डोरंडा / रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लिं ११ | १८ | १५
(एस० के० शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव।

(110)

(16)

933

ज्ञापांक— मंम०स०—०५ / विधायी का० (वेतन एवं भत्ता)—०१ / २०१५(छाया संचिका) _____ / रांची, दिनांक १९ मई, २०१५।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि राजपत्र की 5000 (पाँच हजार) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।


मि. १२।८।१५
(एस० के० शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

अधि सूचना

म0म0स0— म0म0स0—05 / वे0भ0 संशोधन—128/2017 1287 / झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली, 2015 के नियम— 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—


संशोधनः

- i) नियमावली के नियम—2 के उप नियम (i) में अंकित शब्द "मुख्यमंत्री" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 60,000/- (साठ हजार)" को "रु0 80,000/- (अस्सी हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- ii) नियमावली के नियम—2 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "मंत्री/राज्यमंत्री/उप—मंत्री" के पश्चात् एवं शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 50,000/- (पचास हजार)" को "रु0 65,000/- (पैसठ हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- iii) नियमावली के नियम—3 के उप नियम (i) में अंकित शब्द समूह "मुख्यमंत्री/ मंत्री/ राजमंत्री/ उप—मंत्री" के पश्चात् एवं "मात्र प्रतिदिन" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 1,500/- (एक हजार पाँच सौ)" को "रु0 2,000/- (दो हजार) मात्र" से तथा अंकित शब्द समूह "राज्य के अन्दर एवं" के पश्चात् तथा "राज्य के बाहर प्रतिदिन" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 2,000/- (दो हजार) मात्र" को "रु0 2,500/- (दो हजार पाँच सौ) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- iv) नियमावली के नियम—3 के उप नियम (ii) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है—
"हवाई/जलपोत यात्रा करने के समय मुख्यमंत्री/मंत्री/ राज्यमंत्री/ उप—मंत्री अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री टिकट क्रय कर भारत में यात्रा करने के हकदार होंगे। हवाई/जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों का मुग्तान तथा HOR मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा पूर्वत् दिया जाता रहेगा।"
- v) नियमावली के नियम—4 के उप नियम (i) में अंकित शब्द "मुख्यमंत्री" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 40,000/- (चालीस हजार) मात्र" को "रु0 80,000/- (अस्सी हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- vi) नियमावली के नियम—4 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "मंत्री/राज्यमंत्री/उप—मंत्री" के पश्चात् एवं शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 30,000/- (तीस हजार) मात्र" को "रु0 80,000/- (अस्सी हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।



- vii) नियमावली के नियम-5 के उप नियम (i) में अंकित शब्द "मुख्यमंत्री" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द "रु0 35,000/- (पैतीस हजार) मात्र" को "रु0 60,000/- (साठ हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- viii) नियमावली के नियम-5 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "मंत्री/राज्यमंत्री/उप-मंत्री" के पश्चात् एवं शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 30,000/- (तीस हजार) मात्र" को "रु0 45,000/- (पैतालीस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- ix) नियमावली के नियम-6 के उप नियम (i) में अंकित शब्द "मुख्यमंत्री" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 5,000/- (पांच हजार) मात्र" को "रु0 10,000/- (दस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- x) नियमावली के नियम-6 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "मंत्री/राज्यमंत्री/उप-मंत्री" के पश्चात् एवं शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 5,000/- (पांच हजार) मात्र" को "रु0 10,000/- (दस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- xi) नियमावली में नियम-7 के अधीन नया उप नियम-7 (iii) को निम्नरूपेण जोड़ा जाता है :—
"मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप-मंत्री को रु0 40,00,000/- (चालीस लाख) मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर आवास ऋण की सुविधा अनुमान्य होगी।"
- xii) नियमावली के नियम-8 के उप नियम (iii) में अंकित शब्द समूह "मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/ उप-मंत्री" के पश्चात् एवं "4 (चार) प्रतिशत वार्षिक ब्याज" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 15,00,000/- (पंद्रह लाख) मात्र" को "रु0 20,00,000/- (बीस लाख) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- xiii) नियमावली के नियम-8 में नया उप नियम-8 (iv) निम्नरूपेण जोड़ा जाता है :—
"मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप-मंत्री राशि रु0 20,00,000/- (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक क्रय कर सकेंगे।"
2. यह अधिसूचना दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी होगा।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(राजकुमार चौधरी)

सरकार के अपर सचिव

झापांक— म0म0स0-05 / वे०भ० संशोधन-128/2017 1237 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई।

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/ प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/ सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

(13)

ज्ञापांक— म0म0स0—05 / वे0भ0 संशोधन—128 / 2017 1237 / रांची, दिनांक 22.9. 2017 ई0।
 प्रतिलिपि — महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(18)

ज्ञापांक— म0म0स0—05 / वे0भ0 संशोधन—128 / 2017 1237 / रांची, दिनांक 22.9. 2017 ई0।
 प्रतिलिपि— प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान—सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त निर्णय से सभी माननीय विधायकगण / पूर्व विधायकगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— म0म0स0—05 / वे0भ0 संशोधन—128 / 2017 1237 / रांची, दिनांक 22.9. 2017 ई0।
 प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरंडा/रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— म0म0स0—05 / वे0भ0 संशोधन—128 / 2017 1237 / रांची, दिनांक 22.9. 2017 ई0।
 प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

2. अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव